न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	9/25	2025/165	17.06.2025	सरकार बनाम सुनील कुमार	29.04.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :— सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 03/2025 (2025/160)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
— आवेदक

बनाम

1. सुनील कुमार गर्ग पुत्र श्री हीरालाल गर्ग (विक्राता) मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज जी ए 92 93 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया गंगापुरसिटी। मो 9460861437 निवासी 39 कर्मचारी कॉलोनी गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर
2. रश्मि गर्म पानी सुनील कुमार गर्ग (फर्म नासिक) गैरासे श्री गलाजी एन्टरप्राईजेज श्री ए. 92—93 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया गंगापुरसिटी मो 9480861437 निवासी 38 कर्मचारी कॉलोनी गमापुरसिटी सथाईमाधोपुर।
—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (iii)/51/54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनाक 25 10.2024 को 04. 30 पी एम पर मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राईजेज, जी ए 92, 93 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड खाद्य रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र पत्र मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटी प्रमाण पत्र एवं फर्म का आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की जो न्याथनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौक पर निर्माण ईकाई का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Kachi Ghani Sarson Oil**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

लूज विक्रय हेतु रखे हुए थे **Kachi Ghani Sarson Oil** लूज मिलावट का अंदेशा होने पर **Kachi Ghani Sarson Oil** लूज 02 लीटर को खरीदकर उसकी कीमत 270/– रुपये विक्रेता श्री सुनील कुमार गर्ग को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके फार्म सं0 5 की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुनील कुमार गर्ग में भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। धर्मराए की एक प्रति विक्रेता श्री सुनील कुमार गर्ग को देकर रसीद प्राप्त की। फाने से. 5ए एवं फई रिर्पोट न्यायनिर्णधन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 लीटर **Kachi Ghani Sarson Oil (Loose)** को प्लास्टिक की साफ सुथरी 04 बोतातो में बराबर बराबर अच्छी तरह चन्द किया और 04 नमुना भाग तैयार कर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच 3464 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा वाहन के हर कराये। चारों नमूना भागों को अलग 2खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाम पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप एच 3464 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बाध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना नाम पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर रिल रेपर चीना पर आये। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वय परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना गांगों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच तार फार्म न. छ. की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना तील लजाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील गोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म से 6 की प्रति अलग से एक लिफाके में बन्द कर चपदी से सील मोहरकर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुरको जमा कराकर फार्मसको पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन साथ सलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म स. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सिल बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी" एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर स्सीदे प्राप्त की जो ग्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र माक एफएसएसए/2024/1219 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा त हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

7/24

एलएस/4758/एक्ट/2023/4554 दिनांक 25.11.2024 के अनुसार विजेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Kachi Ghani Sarson Oil (Loose) Substandard & Extraneous Suspend Matter होना पाया गया है। जीच रिपोर्ट एवं पेत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi (Made from mawa and sugar) Substandard & Exraneous Matter** का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi (Made from mawa and sugar) Substandard & Exraneous Matter** प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खादय पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से एलएस/4758/एक्ट/2023/4554 दिनांक 25.11.2024 निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORYJAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-VII A

Test Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

Report No. L.S. /4758/ Act / 2024 / ५५५५   अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)

Date 25-11-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purviya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Kachi Ghani Sarson tel" bearing Code number and Serial number H-3464 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 28-10-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Fats, Oils and Fat Emulsions" falling under Regulation No. 2.2.1.6 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 20-11-2024 to 25-11-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : -Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle; (Sample collected from stylo as mentioned by Food Safety Officer in form No.VI).

(2) Physical appearance : Deep yellow coloured oil. Blackish coloured suspended matter present.

Sl.	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Butyro-refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.003:2021:2021	59.8	58.0 to 60.5
2.	Saponification value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.007:2021:2021	169.03	168.0 to 177.0
3.	Iodine value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.010:2021:2021	109.07	96.0 to 112.0
4.	Acid value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.009:2021:2021	1.10	Not more than 6.0
5.	Test for Argemone oil	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.032:2021:2021	Negative	Negative
6.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI02.013:2021:2021	Negative	Negative
7.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.030:2021:2021	Negative	Negative
8.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016	Absent.	Absent.
9.	Extraneous suspended matter	Visual Examination (by Naked Eye)	Blackish coloured suspended matter found present.	Absent.

Opinion: The sample of "Kachi Ghani Mustard Oil" bearing Code No. and Sr. No. H-3464 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 due to presence of extraneous suspended matter.

Signed this 25th day of November 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY Commissionerate of Food Safety and Drug Control, A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

*** End of Report ***

Note : The results relate only to the item tested.

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi (Made from mawa and sugar) Substandard & Exraneous Matter** प्रकृति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi (Made from mawa and sugar) Substandard & Exraneous Matter** प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि 30,000 रूपये (अक्षरे–तीस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner